PANJA); (a) and (b) Inspection Report of the Company Law. Board do suggest some evasion of income tax and wealth tax in the cases of certain companies of R. N. Goenka Group. Investigation of the issues highlighted therein have been taken up and appropriate action initiated, where required.

' The Supreme Court's order dated 21-11-86 related to appeals filed by the Indian Express (Madurai) Pvt. Ltd. and another etc. in 1973, challenging the authority of C.B.I, to investigate certain criminal complaints filed by the letter against Shri R. N. Goenka and others. The Court Order was, however_ of only acadsmic value, as the investigation/court trial in these cases had meanwhile concluded in the lower courts resulted in conviction of some of the accused who have filed criminal Revision Petitions in Madras High Court.

Misuste Of the amount of Indian Express (Bombay) Pvt. Ltd.

2354. SHRI SATYA PRAKASH MALA V1YA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that in various inspection reports of Company Law Board it was found that massive amounts of money from Indian Express (Bombay) Private Limited has been transferred to Ramnath Goenka's personal, account and he had been using the funds for speculation in the stock market pocketing the profit but paying no interest to the Companies;

(b) whether the Income Tax Depart ment has ever tried to assess the income-tax of Shri Goenka from this source; and

(c) if so, what are the details thereof and action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRl AJIT PANJA); (a) to (c) The inspection report of the Company Law Board refers *to* frequent transfer of funds between the various companies of Jndian Express group, but it does not specifically point out direct transfer of funds from Indian Express Newspapers (Bombay) Private Limited to Shri Ramnath Goenka's personal account.

The income-tax authorities have however, reported that Shri Goenka has borrowed funds from certain other companies of the Group. In the assessments for the assessment years 1984-85 an.d 1985-86, the assessing officer has disallowed the deduction of substantial amount of interest claimed to have been paid by Shri Goenka to these companies. The assessee has challenged the disallowance in appeal.

Profit/loss from certain transactions in shares shown by Shri Goenka has been taken into account by the assessing officer in making the assessments for the said years.

The income-tax authorities have reported that Shri Goenka has not filed returns for the assessment years 1987-88 and 1988-89. Hence information regarding transactions relating to borrowing of fund from companies of the Group or dealings in shares during the relevant years is not available.

राजस्थान को सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता

2355. श्री सन्तोष बागडोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखे से प्रभावित राज्य राजस्थान को प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई और राज्य द्वारा इस सहायता का किस सीमा तक उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में व्यय निगम विभाग के राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी): वर्ष 1985 86 से वर्ष 1987–88 तक के दौरान राजस्थान में सूखा राहत के लिये स्वीकृत की गई व्यय की अधिकतम सीमायें तथा राज्य सरकार द्वारा उनके प्रति सूचित

किया गया व्यय नीचे दिये गये अनुसार था:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	व्यय की स्वीकृत अधिकतम सीमायें	राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय
1985–86	89.65	105.40
1986–87	141.45	157.58
1987–88	433.16	561.84

उपर्युक्त अधिकतम सीमाओं के अलावा, राज्य सरकार को सूखा राहत के लिये 1986–87 में 63 करोड़ रुपये के तथा 1987–88 में 43 करोड़ रुपये के खाद्यान्न आवंटित किये गये थे।

इसके अलावा, अल्पावधि सहकारी ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित करने तथा चारे की ढुलाई पर आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये राज्य सरकार के योगदान को वास्तव में किये गये व्यय की सीमय तक स्वीकृति भी प्रदान की गई थी।

औद्योगिक घरानों पर विज्ञापन कर लगाया जाना

2356. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जो अपने उत्पादों का काफी बड़े पैमाने पर विज्ञापन कर रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार विज्ञापनों पर खर्च की जा रही भारी राशि पर विज्ञापन कर लगाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी): (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा विज्ञापन पर किये गये व्यय को लाभ तथा हानि के लेखे में अलग से दिखाये जाने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह कम्पनी के कुल राजस्वों के एक प्रतिशत अथवा 5000/– रु०, इनमें से जो भी अधिक हो, उससे अधिक न हो जाये। इस के अतिरिक्त कुछ कम्पनियां इस व्यय को या तो विज्ञापन व्यय, विपणन व्यय अथवा बिक्री संवर्धन व्यय रूप में दर्ज करती है। इसको ध्यान में रखते हुये उन औद्योगिक घरानों का पता लगाना संभव नहीं है जो अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर विज्ञापित कर रहे हैं।

(ख) सरकार द्वारा विज्ञापनों पर कर लगाये जाने पर विचार किया गया है परन्तु अनेक कारणों से, जिसमें समाचार-पत्रों की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव की शामिल है, ऐसा करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

सूखा राहत के संबंध में अमरीका से बातचीत

2357. **श्री सन्तोष बागडोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा राहत के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों से हाल ही में कोई बातचीत हुई है और इस संबंध में कोई रूप रेखा तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।